भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 991
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तम्बाकू का सेवन

991. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तम्बाकू का सेवन जीवन के लिए हानिकारक है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार देश में तम्बाकू के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा देश में तम्बाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की संभावित तिथि क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो तम्बाकू पर प्रतिबंध न लगाने के क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण-II के अनुसार, तंबाकू सेवन से हृदय संबंधी बीमारियों, कैंसर और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के कारण समय से पहले मृत्यु होती है।

(ख) से (घ): सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध, व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों की बिक्री को विनियमित किया गया है। इस अधिनियम के तहत, अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को और उनके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री और इन उत्पादों के प्रचार/विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम, 2019 के तहत हीट-नॉट-बर्न उत्पादों सहित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के विनियम 2.3.4 के अंतर्गत किसी भी खाद्य उत्पाद में तंबाकू या निकोटीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

*****